

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 753L के तहत बोरेगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर फोरलेन मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 10.6681 हेक्टेयर एवं वन मण्डल बुरहानपुर की 76.9028 हेक्टेयर कुल 87.5709 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:- 29/09/2023

स्थान:- भोपाल।



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र.